अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2015

का. आ. 3050(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 13.03.2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 737 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "श्री जलाराम आरोग्य सेवा ट्रस्ट, गावं व डाकखाना मेघराज, ब्लॉक मेघराज, जिला सबरकन्ठा गुजरात-3833317" द्वारा "25 बिस्तरों वाले चालू सामान्य अस्पताल को 80 बिस्तरों तक बढ़ाने" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2009-10 को प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 1 पर अधिसूचित किया था और जिसे दिनांक 12.03.2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 638 (अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 30.12.2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 3070 (अ) के द्वारा अनुमानित लागत को 47.76 लाख रूपये से बढ़ाकर 2.94 करोड़ रूपये कर दिया गया था।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह: वर्षो से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि परियोजना लागत के 2.94 करोड़ रूपये से बढ़कर 4.88 करोड़ रूपये होने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने और परियोजना लागत को 2.94 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 4.88 करोड़ रूपये करने की सिफारिश की है ।

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (क) एतदद्वारा "श्री जलाराम आरोग्य सेवा ट्रस्ट, गावं व डाकखाना मेघराज, ब्लॉक मेघराज, जिला सबरकन्ठा गुजरात-3833317" द्वारा चलाई जा रही "25 बिस्तरों वाले चालू सामान्य अस्पताल को 80 बिस्तरों तक बढ़ाने" की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात, 2015-16, 2016-2017 और 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है और ;

(ख) दिनांक 13.03.2009 की उक्त अधिसूचना सं. का. आ. 737 (अ) को निम्नलिखित आशाय से संशोधित करती है, नामत:

उक्त अधिसूचना में सारणी में क्रम सं. 1 के सामने स्तंभ (4) में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली लागत की अधिकतम राशि के संबंध में '2.94 करोड़ रूपये' से संबंधित अक्षरों, अंकों और शब्दों के स्थान पर '4.88 करोड़ रूपये' से संबंधित अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. 240 /2015 /फा. सं. वी -27015/3/2015 एस ओ(एन. सी)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)